<u>कार्यालय जिला न्यायाधीश (नजारत अनुभाग), अलीगढ़।</u>

<u>सूचना</u>

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी न्यायालय परिसर, अलीगढ़ में वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु चाय कैन्टीन, फल चाट की दुकान, फोटो स्टेट मशीन की दुकान, फोटोग्राफी एवं चना चबैना की दुकान आदि के लिये ठेके की नीलामी दिनांक 27.03.2019 को समय 04:00 बजे अपरान्ह दीवानी न्यायालय परिसर मीडियेशन सभागार में होगी। ठेका लेने के इच्छुक व्यक्तियों को पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अदेयता प्रमाण पत्र तथा तहसील द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र तथा मु0 10,000/– रुपये जमा करने के पश्चात बोली बोलने का अधिकार प्राप्त होगा। जिस व्यक्ति की अन्तिम बोली स्वीकार की जायेगी वह नियत प्रारुप पर एक संविदा 100/– रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करेगा। आवंटी को ठेके की राशि का 50 प्रतिशत का भुगतान ठेके आवंटन के समय व अवशेष धनराशि को 25–25 प्रतिशत दो त्रैमासिक किश्तों में दिनाँक 01.07.2019 व 01.10.2019 से पूर्व आवश्यक रुप से जमा करानी होगी। शेष शर्ते केन्द्रीय नजारत में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

दिनाँक : 03.2019

13.3.19

(सुरेन्द्र सिंह)
द्वितीय अपर जिला जज,
प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत, अलीगढ़।

प्रतिलिपि वास्ते चस्पा करने हेतु :–

1. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
2. जिला न्यायालय, अलीगढ की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
3. सविल व फौजदारी बार एसोशियेशन के नोटिस बोर्ड।
4. कलैक्ट्रेट अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड।
5. दीवानी न्यायालय अलीगढ़ के नोटिस बोर्ड।
6. भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा।
7. केन्द्रीय बस स्टेण्ड, अलीगढ़।
8. कार्यालय नगर निगम, अलीगढ़।
9. सभागार नोटिस बोर्ड, दीवानी न्यायालय परिसर, अलीगढ़
10. जिला पंचायत परिसर, अलीगढ़।
11. सभी ठेकेदार, दीवानी परिसर वित्तीय वर्ष 2016–17।
12. सम्पादक, दैनिक राजपथ के नगरीय संस्करण में प्रकाशन हेतु।
13. जिला सूचना अधिकारी, अलीगढ़।
14. प्रभारी सिस्टम आफीसर को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड हेतु 12/03/19

13.3.19

(सुरेन्द्र सिंह)
द्वितीय अपर जिला जज,
प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नजारत, अलीगढ़।

<u>नोट</u> :– बाह्य न्यायालयों के ठेके की नीलामी बाह्य न्यायालयों में ही होगी।